

11-11-21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प ग्राम पंचायत लावाटीका

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

शपोपति 82RB

बनाम

सरकार

किसा युकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 3/2 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जों इस हुकम की तामील में जारी किए
11-11-2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>गोविन्द पुट</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/ <u>730</u> दिनांक <u>11-11-2021</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>लावाटीका</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>82RB</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2026-2029</u> के खाता सं. <u>132/52</u> में शपोपति <u>पट्टि मुखराद जाति जाट सा-श्री गगानगाल कोटेडा</u> के स्थान पर <u>शपोपति पट्टि मुखराद जाति</u> <u>जाट सा-82RB शकोटा</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>गोविन्द पुट</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>82RB</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2026-2029</u> के खाता सं. <u>132/52</u> में <u>शपोपति पट्टि मुखराद</u> <u>जाति जाट सा-श्री गगानगाल कोटेडा</u> के स्थान पर <u>शपोपति पट्टि मुखराद जाति जाट सा-</u> <u>82RB कोटेडा</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
मुकाम लावाटीका

